

संख्या- 9503/15-7-161851/2001

प्रिय,

श्री. राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, सुसुटायु केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 26/12/2001

विषय:- गौरी राम नगर सरस्वती बालिका विद्यामंदिर बल्लेश्वर आगरा को सी०बी०स्त०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि गौरी रामनगर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर बल्लेश्वर आगरा को सी०बी०स्त०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अनापत्ति नहीं है :-

- 11] विद्यालय की पंजीकृत सहायता का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12] विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13] विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14] संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र० मा०शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 158 संस्था भौतिक स्व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य तनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 164 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या ग्राह्य-लता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुरोध प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। राम कुमार ।
विशेष सचिव ।

पृ० सं०- 9503111/15-7-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **आगरा** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **आगरा** ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, गौरी रामनगर सरस्वती बालिका विद्या भवन **आगरा** ।

आज्ञा से,

। अखिलेश चन्द्र गुप्त ।
अनु सचिव ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक

आगरा
21/05/2002